नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जा

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी कामां

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा नं0 117/17

उनवान

1. बृजकिशोर 2 खैमचन्द पिसरान प्यारेलाल जाति लोधा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कामां

वादीगण

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ल कामां
2. संजय पुत्र नन्दन जाति खटीक निवासी खटीक मौहल्ला कामां
3. घूरेलाल पुत्र नन्नूराम जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ल कामां
4. राजेश पुत्र चरणसिंह जाति खटीक निवासी खटीक मौहल्ला कामां

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी.0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री बृजलाल शर्मा
2. श्री सूरजभान गुप्ता

निर्णय

दिनांक 17.5.2018

वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है कि आ0ख0नं0 6969/419/0.75 वाके कस्बा कामां नं0 1 वादीगण की खातेदारी आराजी है जिस पर वादीगण द्वारा फसल सरसों की बोई हुई थी जो पकने के वाद वादीगण ने ही काटी थी तथा वादीगण विगत पांच दिन पूर्व ही जोत लगाकर तैयार किया था । वादीगण का उक्त आराजी पर शन्तिपूर्वक कब्जा रहा है वादीगण की आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नही था न ही विगत वर्षो से किसी प्रकार का रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने जमीनों को हडपने के लिए गिरोह बना रखा है । जो लट्ठ के बल एव ताकत बल पर अनुसूचित जाति के मुकदमे लगाने का भय दिखाकर दीगर व्यक्तियों की जमीनों पर कब्जा करते हैं तथा जमीनों पर कब्जा कर उन पर निर्माण कर अवैध रूप से लोगो को बेचकर आमजन का शोषण करते है तथा प्रतिवादीगण की कोइ आराजी आसपास नहीं है प्रतिवादीगण वादीगण को एलानियां धमकी दी हे कि हम आराजी मुतादविया के उतरी हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा निर्माण करके ही रहेगे तथा बेदखल करके ही रहेंगें यदि रोका तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमें में बर्बाद कर देगें इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया उपस्थित आये जबाव पेश किया कि प्रतिवादीगण पर जमीन हडपने कर निर्माण

करने व बेचने का आरोप लगाया है वह गलत है वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी से सटा हुआ विवादितआराजी के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 6967/418 स्थित है जो शमशान भूमि का है। वादीगण अपने इस दावे मे आड मे शमशान भूमि का दबाना चाहते हैं। वादीगण शमशान भूमि को जोतकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 6969/419 में मिलाना चाहता है। प्रतिवादीगण व अन्य जातियों के लोगों ने मिलकर तहसीलदार व नगरपालिका को पेमाइश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.6.2017 को पैमाइश किया जाकर नगरपालिका द्वारा निशानात कर खम्बा लगााये गये तथा खसरा नम्बर 6967/418 बावत इन्काल नं0 4155 तारीख 20.12.2011 नगरपालिका कामां के हक में स्वीकार हो चुका है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण की विवादित आराजी पर कब्जा करने या निर्माण करने आदि के बावत वादीगण को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गयी प्रतिवादीगण द्वारा विभिन्न समाजों से चन्दा इकट्ठा कर शमशान भूमि की पैमाइश के बाद ही नगरपालिका द्वारा निशानात कायम कराये गये थे वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की नियत नही है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण पर लगाये गये आरोप निराधार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज व पेमाइश व जबाव प्रतिवादीगण का मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण में सीमाएं बावत विवाद है। पूर्व में की गई पैमाइश से वादीगण सन्तुष्ट नहीं है अतः तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि मौके पर पक्षकारान को सूचित किया जाकर निशानात कायम करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कामां को आश्य की डिक्री तैयार की जावे कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में आखनं. 6969 एवं 6967 की पैमाइश कर सीमाएं तय कर निशानात कायम करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 17.5.2018 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला भरतपुर